कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2056/11–सी–FP/UP/The/36097/2018, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 14 ,2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के संबंध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–46/81–2–2024–800(269)/2023, दिनांक 31.01.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–3137/मी0क्षे0/33, दिनांक 13.02.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक–3137/मी0क्षे0/33, दिनांक 13.02.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2056 /11–सी–FP/UP/The/36097/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0), एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर, जिला–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3137 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक,फरवरी, 13– 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

Ad.S.O.
CCF/Nodal
SO
14/02/24

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर, बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे ।
(प्रस्ताव संख्या– FP/UP/THERMAL/36097/2018

संदर्भ:–

1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, का पत्रांक– 46 / 81–2–2024–800(269) / 2023 लखनऊ दिनांक– 31.01.2024

2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेष लखनऊ का पत्रांक–3179 / 11–सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक–03.04.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.01.2024 द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2936 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक–07.02.2024 (छाया प्रति संलसग्न) द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना निम्न प्रकार संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, का पत्रांक– 46 / 81–2–2024–800(269) / 2023 लखनऊ दिनांक– 31.01.2024 मे अंकित विवरण ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव मे भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृति एवं शासन द्वारा निर्गत अनुमति आदेश की प्रति संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति एवं उ0प्र0 शासन का आदेश जारी नही हुआ है ।
2	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव मे प्रयोक्ता एजेंन्सी के स्तर पर कोई देयता तो नही है ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव मे प्रयोक्ता एजेंन्सी के स्तर पर वर्तमान मे कोई देयता नही है ।
3	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव से सम्बन्धित पट्टाविलेख की प्रति प्रमाणित प्रति ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी आदेश मे अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में ही पट्टाविलेख का निष्पादन होता है । चूँकि प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन का आदेश जारी नही हुआ है इस कारण इसमे पट्टाविलेख तैयार नही हुआ है ।
4	प्रस्तावित वन भूमि सम्बन्धित मूल लीज की प्रति संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि के संबंध मे उ0प्र0 शासन का आदेश जारी नही हुआ है इस कारण लीज संबंधी प्रपत्र तैयार नही हुआ है ।
5	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित है अथवा नियमितीकरण ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–412 / 89–एफ0सी0 दिनांक– 23.08.1991 द्वारा 744 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी । उक्त 744 हे0 वन भूमि मे से वर्तमान प्रस्ताव मे 555.759 हे0

		धारा—4 मे विज्ञापित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति संबंधी उक्त आदेश दिनांक— 23.08.1991 मे सशोधन/नियमितीकरण किया जाना है । (744.00-555.759) = 188.241 हे0 धारा—20 मे विज्ञापित वन भूमि परियोजना द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक— 06.12.2017 के क्रम मे वन विभाग को वापस किया गया है ।
6	टाइमलाइन से प्रतीत हो रहा है कि प्रष्नगत परियोजना प्रस्ताव परिवेष पोर्टल पर 2018 मे सबमिट किया है, किन्तु शासन को दिनांक— 13.10.2023 को उपलब्ध कराया गया । स्पष्ट किया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक— 16.11.2017 को सम्पन्न हुयी थी । उक्त बैठक के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या— 8—412/1989—एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक— 06.12.2017 द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन मे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता मे दिनांक— 14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के क्रम मे एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्ष 2018 मे प्रस्ताव परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया । अपलोड किये गये प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ, मुख्य वन संरक्षक , मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा कतिपय कमियॉ/अभिलेख यथा सी0ए0 लैण्ड का जियो रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट मानचित्र, प्रस्तावित वन भूमि का जियो रेफरेन्स मानचित्र एवं टोपोशीट मानिचत्र, वन विभाग को वापस की जा जाने वाली वन भूमि का जियो रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट मानचित्र एवं प्रस्तावित वन भूमि का राजस्व मानचित्र आदि का अभाव पाया गया । इंगित की गयी कमियो एवं अभिलेखो को पूर्ण कराने मे प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से काफी समय लिया गया । उक्तानुसार आपत्तियो के निराकरण किये जाने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है । प्रस्ताव के प्रेषण करने मे प्रयोक्ता अभिकरण एवं विभागीय स्तर पर जानबूझकर किसी प्रकार का कोई विलम्ब नही किया गया है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या— 3137/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक—2936/रेनुकूट/15—6 दिनांक 07.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020
PIN Code: 231217
Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2936 / रेनुकूट / 15–6 रेनुकूट,दिनांक,फरवरी, 07, ,2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर , बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे । (प्रस्ताव संख्या– FP/UP/THERMAL/36097/2018

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, का पत्रांक– 46/81–2–2024–800(269)/2023 लखनऊ दिनांक– 31.01.2024
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–3179/11–सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक–03.04.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.01.2024 द्वारा मॉगी गयी विन्दुवार वांछित सूचना निम्न विवरण के अनुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतं प्रेषित है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, का पत्रांक– 46/81–2–2024–800(269)/2023 लखनऊ दिनांक– 31.01.2024 मे अंकित विवरण ।	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव मे भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृति एवं शासन द्वारा निर्गत अनुमति आदेश की प्रति संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति एवं उ0प्र0 शासन का आदेश जारी नही हुआ है ।
2	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव मे प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर कोई देयता तो नही है ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव मे प्रयोक्ता एजेंन्सी के स्तर पर वर्तमान मे कोई देयता नही है ।
3	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव से सम्बन्धित पट्टाविलेख की प्रति प्रमाणित प्रति ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी आदेश मे अधिरोपित शर्तो के अनुपालन मे ही पट्टाविलेख का निष्पादन होता है । चूँकि प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन का आदेश जारी नही हुआ है इस कारण इसमे पट्टाविलेख तैयार नही हुआ है ।
4	प्रस्तावित वन भूमि सम्बन्धित मूल लीज की प्रति संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि के संबंध मे उ0प्र0 शासन का ओदश जारी नही हुआ है इस कारण लीज संबंधी प्रपत्र तैयार नही हुआ है ।
5	प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित है अथवा नियमितीकरण ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–412/89–एफ0सी0 दिनांक– 23.08.1991 द्वारा 744 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी । उक्त 744 हे0 वन भूमि मे से वर्तमान प्रस्ताव मे 555.759 हे0 धारा–4 मे विज्ञापित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति संबंधी उक्त आदेश दिनांक– 23.08.1991 मे संशोधन/नियमितीकरण किया जाना है । (744.00 555.759) = 188.241 हे0 धारा–20 मे

		विज्ञापित वन भूमि परियोजना द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.12.2017 के क्रम मे वन विभाग को वापस किया गया है ।
	टाइमलाइन से प्रतीत हो रहा है कि प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर 2018 मे सबमिट किया है, किन्तु शासन को दिनांक– 13.10.2023 को उपलब्ध कराया गया । स्पष्ट किया जाए ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 को सम्पन्न हुयी थी । उक्त बैठक के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या– 8–412/1989–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.12.2017 द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन मे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता मे दिनांक– 14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के क्रम मे एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्ष 2018 मे प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया । अपलोड किये गये प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ, मुख्य वन संरक्षक , मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा कतिपय कमियॉ/अभिलेख यथा सी0ए0 लैण्ड का जियो रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट मानचित्र, प्रस्तावित वन भूमि का जियो रेफरेन्स मानचित्र एवं टोपोशिट मानिचत्र, वन विभाग को वापस की जा जाने वाली वन भूमि का जियो रेफरेन्स मानचित्र, टोपोशीट मानचित्र एवं प्रस्तावित वन भूमि का राजस्व मानचित्र आदि का अभाव पाया गया । इंगित की गयी कमियो एवं अभिलेखो को पूर्ण कराने मे प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से काफी समय लिया गया । उक्तानुसार आपत्तियो के निराकरण किये जाने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है । प्रस्ताव के प्रेषण करने मे प्रयोक्ता अभिकरण एवं विभागीय स्तर पर जानबूझाकर किसी प्रकार का कोई विलम्ब नही किया गया है ।

तदोवाल

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

मु0व0सं0
02/09/2024